उत्तर प्रदेश मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ

1– सदस्यता प्रार्थना पत्र

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक

महोदय,

(क) साधारण सदस्यता के लिये

अनुरोध है कि.....(समिति का नाम) ने अपनी बैठक दिनांक.....के प्रस्ताव सं0.....

.....द्वारा यह संकल्प लिया है कि समिति को उत्तर प्रदेश मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ का सदस्य बना लिया जाय, तथा संघ की उपविधियों के अनुसार.....हिस्से लिये जाये। उक्त प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए निवेदन है कि समिति को संघ का सदस्य बनाने की कृपा करें।

दिनांक.....

ह0 सचिव

मुहर समिति.....

जनपद.....

2–घोषणा पत्र

मैं.....(समिति का नाम).....

.....संघ के वर्तमान उपविधियों तथा इन उपविधियों में किसी ऐसे परिष्कार किए जाने वाले सभी संशोधनों से बाध्य रहूंगा तथा मानूँगा जो मेरी सदस्यता की अवधि में विधिवत किये जायेंगे।

ह0 सचिव.....

दिनांक.....

मुहर.....

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ

की सदस्यता ग्रहण करने हेतु प्रबन्ध कमेटी की बैठक में पारित किये जाने वाले संकल्प का प्रारूप।

समिति का नाम.....

रजि0 संख्या.....दिनांक.....

पूरा पता.....

.....

दिनांक.....को प्रबन्ध कमेटी की बैठक में पारित संकल्प की प्रतिलिपि।

प्रस्ताव

उ0प्र0 मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ का सदस्य बनने तथा अंश क्रय करने पर विचार।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हमारी समिति उ0 प्र0 मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ की सदस्य बनने हेतु प्रबन्ध निदेशक महोदय से प्रार्थना करें। यह भी निर्णय लिया गया कि समिति प्रवेश शुक्ल 10.00 रू0 तथा एक हिस्से का निर्धारित मूल्य (एक हजार रू0 प्रति हिस्से की दर से) रू0.....का बैंक ड्राफ्ट बनवा कर प्रबन्ध निदेशक उ0 प्र0 मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0 के पास भेज दें।

ह0 सभापति.....

ह0 सचिव.....

समिति की मुहर.....

Scanned with OKEN Scanner

मत्स्यजीवी सहकारी समितियों की वर्तमान स्थिति से सम्बन्धित विवरण 'प्रारूप'

1. समिति का नाम :

2. पंजीयन संख्या :

3. पंजीयन तिथि :

4. पत्र व्यवहार का पता :

5. समिति का कार्य क्षेत्र :

6. सभापति का नाम :

7. सचिव का नाम :

   सचिव की शैक्षिक योग्यता

   सचिव के पद पर कब से कार्यरत हैं,

   नियुक्ति किसके द्वारा की गयी है,

8. सदस्य संख्या (सदस्यों की प्रमाणित सूची संलग्न करें)

   निबन्धन के पश्चात कितने सदस्य भर्ती किये गये–संख्या

9. समिति की अंश पूंजी (धनराशि रू0)

10. समिति संघ का सदस्य है या नहीं

    (यदि है तो अंशपूंजी का उल्लेख करें)

11. समिति के लेखा सम्परीक्षण का विवरण

    (किस वर्ष तक सम्परीक्षण हो चुका है)

    अन्तिम आडिट रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें।

12. समिति द्वारा किस वर्ष तक का संतुलन पत्र

    (बैलेन्स शीट) प्रस्तुत किया जा चुका है।

    अन्तिम संतुलन पत्र के साथ विगत तीन वर्षों की प्रतियां संलग्न करें।

13. लेखा सम्परीक्षण में उठाई गई मुख्य आपत्तियों

    का निराकरण हो चुका है अथवा नहीं:

    (यदि हां तो अनुपालन की प्रति संलग्न करें)

14. समिति की पूंजी व दायित्व :

15. समिति का टर्न ओवर वर्ष धनराशि

Scanned with OKEN Scanner

४

16. वर्तमान में समिति के पास क्या कार्य है (जल क्षेत्र है0 में, वार्षिक लगान, पट्टे की अवधि) (ठेके/पट्टे का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
17. समिति के सदस्यों का लघु/सीमान्त श्रेणी सम्बन्धी विवरण
(सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
18. समिति का निर्वाचन सम्बन्धी विवरण :
(निर्वाचन परिणाम सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
19. समिति डिफाल्टर है अथवा नही:
(सक्षम अधिकारी का प्रमाण संलग्न करें)
20. समिति का सहकारी बैंक स्थिति खाता सम्बन्धी विवरण:
21. मत्स्य व्यवसाय से सम्बन्धित कौन सा कार्य करने में समिति इच्छुक है:-
22. समिति संघ से किस प्रकार की सहायता की अपेक्षा रखती है: उल्लेख करें। (समितियां संलग्न प्रारूप पर प्रार्थना-पत्र, प्रस्ताव, घोषणा-पत्र आदि प्रस्तुत करें)
23. समिति सक्रिय है अथवा निष्क्रिय:
(यदि निष्क्रिय है तो कब से)
अ. निष्क्रिय होने का कारण –
ब. क्या समिति को सदस्य सक्रिय करना चाहते है ?
24. समिति द्वारा आगामी वर्ष के लिये कार्य योजना का उल्लेख करें :
(कार्य योजना की प्रति संलग्न करें)
25. अन्य विशेष विवरण, यदि कोई हो :-

(सचिव) नाम, हस्ताक्षर मुहर सहित	(सभापति) नाम, हस्ताक्षर मुहर सहित	(मत्स्य निरीक्षक) सहकारिता	(स० नि० म०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुहर सहित

Scanned with OKEN Scanner

उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ की सदस्यता

उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 एवं नियमावली 1968 के अन्तर्गत मत्स्य सेक्टर की शीर्ष सहकारी संस्था है। उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ की सदस्यता ग्रहण करने हेतु प्राथमिक मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि0 एवं जिला सहकारी मत्स्य विकास एवं विपणन संघ लि0 हेतु निम्नवत प्रकिया है–

1. **उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, की सदस्यता ग्रहण करने हेतु प्रारम्भिक समितियों हेत प्रकिया**

1. निर्धारित प्रारूप पर समिति का आवेदन। (आवेदन पत्र संलग्न)
2. जनपदीय अधिकारी सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण की संस्तुति (आवेदन फार्म पर)।
3. समिति द्वारा अपनी प्रबन्ध कमेटी की बैठक में आवेदन करने के पूर्व प्रस्ताव लाकर संघ की सदस्यता हेतु प्रस्ताव पारित कराना एवं उसकी समिति के सचिव द्वारा प्रमाणित छायाप्रति सदस्यता आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. सदस्यता हेतु निर्धारित धनराशि रूपये 1000–00 अंश्धन एवं रूपये 10–00 प्रवेश शुल्क इस प्रकार कुल रूपये 1010–00 का बैंक ड्राफ्ट जो कि उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 के पक्ष में देय हो संघ में सदस्यता आवेदन पत्र के साथ जमा किया जाना होगा।
5. सदस्यता आवेदन पत्र के साथ में निबन्धन प्रमाण पत्र की छायाप्रति जो कि सचिव द्वारा प्रमाणित हो आवेदन के साथ जमा करना होगा।

2. **उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 की सदस्यता ग्रहण करने हेतु जिला सहकारी मत्स्य विकास एवं विपणन संघ हेतु प्रकिया**

1. निर्धारित प्रारूप पर जिला संघ का आवेदन। (आवेदन पत्र संलग्न)
2. जनपदीय अधिकारी सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण की संस्तुति (आवेदन फार्म पर)।
3. जिला संघ द्वारा अपनी प्रबन्ध कमेटी की बैठक में आवेदन करने के पूर्व प्रस्ताव लाकर संघ की सदस्यता हेतु प्रस्ताव पारित कराना एवं उसकी जिला संघ के सचिव द्वारा प्रमाणित छायाप्रति सदस्यता आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. सदस्यता हेतु निर्धारित धनराशि रूपये 10000–00 अंश्धन एवं रूपये 10–00 प्रवेश शुल्क इस प्रकार कुल रूपये 10010–00 का बैंक ड्राफ्ट जो कि उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 के पक्ष में देय हो संघ में सदस्यता आवेदन पत्र के साथ जमा किया जाना होगा।
5. सदस्यता आवेदन पत्र के साथ में निबन्धन प्रमाण पत्र की छायाप्रति जो कि सचिव द्वारा प्रमाणित हो आवेदन के साथ जमा करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

3. <u>उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ से जुड़ने की प्रकिया</u>

उपरोक्तानुसार कमांक 1 व 2 पर अंकित औपचारिकताओं को पूर्ण कर इच्छुक प्रारम्भिक मत्स्य जीवी सहकारी समितियॉ अथवा जिला सहकारी मत्स्य विकास एवं विपणन संघ लि0 को अपना सदस्यता आवेदन फार्म सम्बन्धित जनपद के मत्स्य विभाग के जनपदीय अधिकारी अथवा उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ के कार्यालय में सीधे जमा कर सदस्यता ग्रहण कर सकतेहै।

4. <u>उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ की सदस्यता ग्रहण करने से प्रारम्भिक समिति/जिला संघ को लाभ</u>

- उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ की सदस्यता ग्रहण करने पर प्रारम्भिक समिति/जिला संघ को उनकी दत्त अंशपूॅजी पर अधिकतम 9 प्रतिशत की दर से लाभांश प्राप्त होगा।
- उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ की सदस्यता ग्रहण करने पर प्रारम्भिक समिति/जिला संघ के सचिव/अध्यक्ष/सदस्य को उनके वित्तीय लेखा जोखा, मत्स्य पालन की तकनीक, मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनायें आदि विषयों पर प्रत्येक वर्ष 03 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ की सदस्यता ग्रहण करने पर प्रारम्भिक समिति/जिला संघ के सचिव/अध्यक्ष/सदस्य को उनके वित्तीय लेखा जोखा, मत्स्य पालन की तकनीक, मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनायें आदि विषयों पर उनके ज्ञानवर्धन के लिए प्रत्येक वर्ष एक दिवसीय मत्स्य सहकारी संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है।
- उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ की सदस्य समितियों को उनके कार्यव्यवसाय में तकनीकी ज्ञानवर्धन हेतु जानकारी कराये जाने हेतु अन्य प्रदेशें की एक्सपोजर विजिट कराया जाना प्रस्तावित है।
- उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ की सदस्य समितियों के कार्यव्यवसाय के दृष्टिगत नाव–जाल, इन्सुलेटेड बाक्स आदि उपलब्ध कराने हेतु संस्थाओं से <u>ऋण/अनुदान</u> दिलाये जाने में सहयोग किया जायेगा।

5. <u>**उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ की सदस्यता ग्रहण करने से प्रारम्भिक समिति/जिला संघ को नुकसान**</u>

- उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ की सदस्यता ग्रहण न करने पर समितियों को उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ द्वारा देय लाभांश प्राप्त नहीं होगा एवं उनके तकनीकी ज्ञानवर्धन हेतु सदस्यता ग्रहण न करने वाली समिति/जिला संघ को 03 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण/एक दिवसीय मत्स्य सहकारी संगोष्ठी से वंचित होना पड़ेगा। उक्त के अतिरिक्त सदस्यता ग्रहण न करने वाली समिति को संस्थाओं से ऋण/अनुदान दिलाय जाने में सहयोग प्राप्त न हो सकेगा।

****

Scanned with OKEN Scanner